



# उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या 551 - विनियम एवं का0वि0नी0/पाकालि/2020-3-विनियम/17

दिनांक : 01/09/2020

## कार्यालय झाप

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा-179 तथा निगम के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल-47, 48 एवं अन्य विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल की दिनांक 14/08/2020 को सम्पन्न 159(39)वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में एतद्वारा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में अवर अभियन्ता (जानपद) के पद पर संयुक्त वरिष्ठता के आधार पर चयन के माध्यम से प्रोन्नति करते हुए भर्ती किये जाने हेतु 'उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 अवर अभियन्ता (जानपद) सेवा विनियमावली, 2017' के भाग-3 (भर्ती) के विनियम-5 (भर्ती के स्रोत) विनियम-6 (पदों का आरक्षण) भाग-6 (प्रोन्नति के माध्यम से भर्ती हेतु प्रक्रिया) के विनियम-16 एवं विनियम-17 (प्रोन्नति हेतु चयन प्रक्रिया) तथा विनियम-9(i) के अन्तर्गत संलग्न परिशिष्ट-ए तथा विनियम-19 का उपविनियम-2(c) में संलग्न परिशिष्ट-ब को निम्नानुसार तालिका के स्तम्भ-02 में वर्णित प्राविधानानुसार संशोधित (प्रथम संशोधन) किया जाता है :-

### “उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 अवर अभियन्ता (जानपद) सेवा विनियमावली, 2017 (प्रथम संशोधन)”

वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था
1	2
<b>5. Sources of recruitment –</b> Recruitment to the cadres of the Service shall be made as follows: (a) Junior Engineer (Trainee) : (i) By direct recruitment from Junior Engineer (Trainee) selected with the procedure laid down in part V of these Regulations. (ii) By promotion in accordance with the procedure laid down in regulations of Part-VI.	<b>5. Sources of recruitment –</b> Recruitment to the cadres of the Service shall be made as follows: (a) By Direct Recruitment: - By direct recruitment from Junior Engineer (Trainee) selected with the procedure laid down in Part-V of these Regulations. - <b>75%</b> (b) By Recruitment through promotion: (i) By recruitment through promotion in accordance with the procedure laid down in regulation-16(B) of Part-VI. - <b>16.67 %</b> (ii) By recruitment through promotion in accordance with the procedure laid down in regulation-16(C) of Part-VI. - <b>8.33 %</b>
<b>6. Reservation of Posts-</b> (1) 40% of the vacancies in the Junior Engineer (Trainee) shall be reserved for such of those to be appointed by promotion who satisfy the requirement of these Regulations.	<b>6. Reservation :</b> Reservation in direct recruitment shall be made in accordance with the orders of the State Government in force for such reservation at the time of recruitment and adopted by UPPCL.

F:\Kavini All\Kavini files\Viniam\3-Viniam & Kavini-17\Letter.doc Confidential Time - 2:00:13 PM

(क्रमशः . . . 2)

	<p>Provided that nothing in this sub-regulation shall be deemed to make eligible for promotion a candidate whose name has been removed from the list under regulation 15.</p>
<p><b>17. Appointment to the Junior Engineer (Trainee) by promotion –</b></p> <p>(3) Appointment to the Junior Engineer (Trainee) by promotion shall be made from the list drawn up under regulation 16(3) in strict order of merit.</p> <p>(4) Appointment of the candidate of any subsequent selection shall be made only after all the candidates of an earlier selection whose names have been included in the list drawn up under regulation 16(3) have been promoted.</p> <p>Provided that nothing in this sub-regulation shall be deemed to make eligible for promotion a candidate whose name has been removed from the list under clause 16(7).</p>	<p><b>-Removed-</b></p>
<p><b><u>APPENDIX-A</u></b> (See Regulation 9)</p> <p>A candidate for the recruitment as Apprentice Junior Engineer (Civil) must have Passed the :</p> <p>(1) Three years Diploma in Civil Engineering awarded by Pravidhik Shiksha Parishad, Uttar Pradesh Or a Diploma Equivalent there to be recognized by the State Government.</p> <p><b>Note: Diploma received through Distance Learning Education will not be eligible.</b></p>	<p><b><u>APPENDIX-A</u></b> (See Regulation 9)</p> <p>A candidate for the recruitment as Apprentice Junior Engineer (Civil) must have Passed the :</p> <p>(1) Three years Diploma in Civil Engineering awarded by Pravidhik Shiksha Parishad, Uttar Pradesh Or a Diploma Equivalent there to and recognized by the State Government or from any other Institution incorporated by an Act of the Central/State Legislature.</p> <p>OR</p> <p>Three years All India Diploma Examination in Civil Engineering conducted by All India Council for Technical Education (AICTE), Govt. of India.</p> <p>OR</p> <p>(2) 4 year Degree in Civil Engineering awarded by the State/Central University or institution established by law in Uttar Pradesh or from any other Institution incorporated by an Act of the Central/State Legislature.</p> <p><b>Note: Diploma/Degree received through Distance Learning Education will not be eligible.</b></p>

(क्रमशः . . . 4)

परिशिष्ट "क"

## चल/अचल सम्पत्ति सम्बन्धी घोषणा पत्र

(क) उनके लिए जिनके पास कोई अचल सम्पत्ति नहीं है।

मैं एतद्वारा घोषण करता/करती हूँ कि मेरे पास कोई अचल सम्पत्ति नहीं है। यदि मैं एतद् पश्चात् कोई अचल सम्पत्ति धारण करता/करती हूँ तो अपनी तत्सम्बन्धित अवधि की घोषणा में करूँगा/करूँगी।

हस्ताक्षर .....

पूरा नाम .....

पद \* .....

दिनांक .....

(ख) उनके लिए जिनके पास अचल सम्पत्ति है।

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं निम्न प्रकार की अचल सम्पत्ति का स्वामी/को स्वामिनी हूँ।

## भूमि सम्पदा

सम्पत्ति जहाँ है।			क्षेत्र एकड़ में	अर्जित या पैतृक यदि अर्जित की गई है तो उसके अर्जन का दिनांक	वार्षिक राजस्व	अनुमानित मूल्य	टिप्पणी
जनपद	तहसील	ग्राम					
1	2	3	4	5	6	7	8

## गृह सम्पदा

गृह जहाँ स्थित है।			गृह संख्या	अर्जित या पैतृक यदि अर्जित की गई है तो उनके अर्जन का दिनांक	क्या स्वयं रहने के लिए प्रयोग कर रहे हैं या किराये पर दिया है ?	वार्षिक किराया	अनुमानित मूल्य	टिप्पणी
क्र० सं०	ग्राम नगर उप नगर	जनपद						
1	2	3	4	5	6	7	8	9

यदि मैं भविष्य में कोई अन्य अचल सम्पत्ति अर्जित करता/करती हूँ तो इस तथ्य को उपर्युक्त प्रपत्र में सम्पत्ति अर्जित के दिनांक को जानकारी पाने के दिनांक से एक मास के भीतर घोषित कर दूंगा/दूंगी।

हस्ताक्षर .....

पूरा नाम .....

पद .....

दिनांक .....

टिप्पणी:-अचल सम्पत्ति में ऐसा भवन व भूमि सम्पदा जो लंबक व पट्टे के रूप में अधिकारी/कर्मचारी या उसकी पत्नी/उसके पति या उसकी ओर से उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य जो उसके साथ संयुक्त हो या साथ रहता हो या किसी प्रकार उस पर अभिहित हो, द्वारा धारित या प्रतिबन्धित हो तो इस घोषणा के प्रयोजनार्थ अधिकारी द्वारा ही धारित या प्रतिबन्धित की गई समझी जाएगी।

(ग) उनके लिए जिनके पास कोई हिस्से (Shares) या जमा पूंजी (Investment) नहीं है।

मैं एतद्वारा घोषण करता/करती हूँ कि मैं किसी हिस्से (Shares) या जमा पूंजी (Investment) का स्वामी/की स्वामिनी नहीं है। यदि एतदपश्चात् मैं कोई हिस्से अर्जित करूंगा/करूंगी या जमा पूंजी लगाऊंगा/लगाऊंगी तो मैं इस तथ्य की घोषणा सम्बन्धित अवधि की घोषणा में कर दूंगा/दूंगी।

हस्ताक्षर .....

पूरा नाम .....

पद .....

दिनांक .....

(घ) उनके लिए जो हिस्से (Shares) के स्वामी/स्वामिनी है या किसी अन्य जमा पूंजी (Investment) है।

मैं एतद्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मैं निम्नलिखित हिस्से व जमा पूंजी रखता/रखती हूँ :-

हिस्से (Shares)

क्र० सं०	विवरण	अर्जित करने का दिनांक	प्रत्येक हिस्से का मूल्य	धारित हिस्सों की संख्या	हिस्सों का मूल्य	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7

२९ ३२ ३३

जमा पूंजी (Investment)

क्र०सं०	विवरण	पूंजी लगाने की तिथि	मूल्य	टिप्पणी
1	2	3	4	5

यदि मैं आगे और हिस्से अर्जित करूंगा/करूंगी या अन्य कहीं पूंजी लगाऊंगा/लगाऊंगी तो मैं इस तथा की घोषणा सम्बन्धित घोषणा में कर दूंगा/दूंगी।





हस्ताक्षर .....

पूरा नाम .....

पद .....

दिनांक .....